बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या–पी.आर. 51/2017

+2 स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी कोटि के अंगीभूत/डिग्री सम्बद्ध इंटर महाविद्यालय, विद्यालय एवं विघटित बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्वीकृत/अनुशंसित/स्थापना अनुज्ञा कोटि के सभी अनुदानित शिक्षण संस्थान के प्रबंधन/प्रधान के लिए आवश्यक सूचना एवं निदेश

एतद् द्वारा राज्य के +2 स्तर के शिक्षा प्रदान करने वाले अंगीभूत/डिग्री सम्बद्ध इंटर महाविद्यालय एवं विघटित बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्वीकृत /अनुशंसित/स्थापना अनुमति कोटि के सभी अनुदानित शिक्षण संस्थान के प्रबंधन/प्रधान को सूचित करते हुए निम्नांकित निदेश दिया जाता है:–

1. ऐसे महाविद्यालय/+2 विद्यालय जिनके द्वारा मूल रूप से नामांकन हेतु निर्धारित सीट के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं का नामांकन ले लिया गया है एवं नामांकित छात्र/छात्राओं का 11वीं का आंतरिक परीक्षाफल समिति द्वारा निर्धारित समय के अन्दर जमा किया गया है, वैसे महाविद्यालय/+2 विद्यालय को अपवाद स्वरूप मात्र **सत्र 2016–18** के लिए सूचीकरण आवेदन पत्र आदि स्वीकार करने के संबंध में विगत पांच वर्षों के अन्दर किसी भी वर्ष में समिति द्वारा दी गई सीट वृद्धि के अनुरूप ही सीट वृद्धि हेतु आवेदन एवं निर्धारित शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उ0मा0), पटना के पदनाम से भुगतेय हो, समिति के उच्च माध्यमिक कार्यालय, बुद्ध मार्ग, पटना में **दिनांक 27.07.2017 से 02.08.2017** तक जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. अंगीभूत/डिग्री सम्बद्ध/स्थापना अनुज्ञा प्राप्त अनुशंसित महाविद्यालय जिनके किसी अप्रस्वीकृत/असम्बद्ध संकाय जो अनुशंसित है या जिस संकाय में संबद्धन/प्रस्वीकृति हेतु सुरक्षा कोष की राशि जमा होने के आधार पर पूर्व से सूचीकरण/परीक्षा प्रपत्र जमा होता आ रहा है, के संबंध में छात्रहित में अपवाद स्वरूप मात्र सत्र 2016–18 के लिए सूचीकरण/परीक्षा प्रपत्र आदि जमा करने की अनुमति दी जाती है।
3. वैसे +2 स्तर के शिक्षण संस्थान जिन्हें समिति से औपबंधिक रूप से एक वर्ष/सीमित अवधि के लिए सम्बद्धता दी गई थी और पूर्व से उनके शिक्षण संस्थान से सूचीकरण/परीक्षा प्रपत्र जमा होता आ रहा है, परन्तु सम्बद्धता की अवधि विस्तारित नहीं हुई है, छात्रहित में ऐसे शिक्षण संस्थान के संबंध में छात्रहित में अपवाद स्वरूप मात्र सत्र 2016–18 के लिए सूचीकरण/परीक्षा प्रपत्र आदि जमा करने की अनुमति दी जाती है।
4. राजकीय/राजकीयकृत +2 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए सीट वृद्धि के लिए शुल्क देय नहीं है।
5. उपर्युक्त कंडिका–1 में अंकित निदेशों का अनुपालन ससमय नहीं करने की स्थिति में संबंधित शिक्षण संस्थानों से प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और इससे भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रतिकूल स्थिति के लिए संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान स्वयं जिम्मेवार होंगे।

निदेशक (शैक्षणिक)